सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 272/21 **दिनांक- 09 जून 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

छेड़खानी का वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.06.2021 समय करीब 06.00 बजे शाम को आवेदिका घर मे अकेले थी कि अभियुक्त राशिद नशे की हालत मे घर मे घुस आया और प्रार्थिनी के साथ छेड़खानी करने लगा ,प्रार्थिनी के विरोध करने पर प्रार्थिनी को गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगा। प्रार्थिनी के शोर करने पर अभियुक्त राशिद के भाई इम्तियाज व संजय एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य घर मे घुस आये और प्रार्थिनी को भद्दी भद्दी गाली देते हुये मारने पीटने लगे और कहने लगे कि साली इस तरह से शोर करती है इसे जान से मार डालो। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर सुरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम के द्वारा उक्त अभियोग के वॉछित अभियुक्त राशिद पुत्र मोहिद निवासी ग्राम लोहरा (तकिया) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को वादिनी मुकदमा के इशारे पर राह चलते रास्ते से ही कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक- 09.06.2021 को समय 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 121/2021 धारा- 354(ख),452,323,504,506 भादवि0

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

राशिद पुत्र मोहिद निवासी ग्राम लोहरा (तकिया) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अजीत यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 शनि अहमद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

लड़की को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.03.2021 को वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उपस्थित थाना कार्यालय आकर लिखित तहरीर दिया कि अभियुक्त अफरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी कनैला थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय मे मु0अ0स0 0052/2021 धारा 363/366 बनाम अफरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी कनैला थाना जहानागंज आजमगढ आदि 7 नफर के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षणे मे वाछित अभियुक्तो की गिरफ्तरी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम मे मु0अ0स0 52/2021 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्तगण 1. गोलू उर्फ सद्दाम निवासी बहरतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ 2. रिजवाना पत्नी निजामुद्दीन ग्राम कनैला थाना जहानागंज आजमगढ को अभियुक्त के घर से समय करीब 9.10 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 52/2021 धारा 363/366 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- गोलू उर्फ सद्दाम निवासी बहरतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ

2- रिजवाना पत्नी निजामुद्दीन ग्राम कनैला थाना जहानागंज आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय थाना जहानागंज आजमगढ
2. हो0का0 सहदेव थाना जहानागंज आजमगढ
3. का0 अरविन्द कुमार यादव थाना जहानागंज आजमगढ
4. म0का0 साधना सिंह थाना जहानागंज आजमगढ

थाना फूलपुर

जानलेवा हमला में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.06.2021 को श्री गुलाव चन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 सुमेरे साकिन मौना थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित बावत अभियुक्तगण किशन कुमार पुत्र भूपचन्द राय व उसके अन्य दो साथी नाम पता अज्ञात द्वारा खुद को व खुद की पत्नी को गाली गुप्ता देते हुए घर मे घुस कर मारना पीटना व घर मे रखा समान तोड़ देने व अभि0 किशन कुमार राय उपरोक्त द्वारा वादी के कनपटी पर कट्टा सटाकर फायर कर देना , गोली मिस कर जाना जिसका निशाना प्रार्थी के कनपटी पर था व जाते जाते जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दाखिल किये थे कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2021 धारा 307/323/452/504/506/427 भादवि बनाम किशन कुमार पुत्र भूपचन्द राय सा0 मौना थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ व दो साथी नाम पता अज्ञात बतफ्तीशी उ0नि0 शिवभंजन प्रसाद के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह थाना फूलपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.06.2021 को उ0नि0 शिवभंजन प्रसाद मय हमराह द्वारा दुर्वासा मन्दीर तिराहा से मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0 किशन कुमार राय पुत्र भूपचन्द राय साकिन मौना थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को **समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया**

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 87/21 धारा 307,323,452,427,504,506 भा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

किशन कुमार राय पुत्र भूपचन्द राय साकिन मौना थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 शिवभंजन प्रसाद थाना फूलपुर आजमगढ़
2. हे0का0 हंसनाथ यादव थाना फूलपुर आजमगढ़
3. रि0का0 सूरज पटेल थाना फूलपुर आजमगढ

थाना तरवाँ
02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक तरवां के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाक 09.06.2021 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह हे.का. के चौकी हाजा से रवाना होकर मु.अ.स. 131/2020 धारा 143/353/336/504/427/436 भादवि व 7 CLA ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़ की विवेचना में तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण की तलाश में चौकी रासेपुर क्षेत्र में मामूर थे कि तभी मुखबिर खास आकर बताया कि साहब मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अरबिन्द कुमार पुत्र कुबेर 2. ज्ञानेन्द्र उर्फ मिठाई पुत्र तिलठू निवासीगण बांसगांव थाना तरवां जनपद आजमगढ़ है वह इस समय बोंगरिया बाजार में घूम रहे है कि इस सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर खास को साथ लेकर बोंगरिया बाजार के लिये चल दी कि जैसे ही बोंगरिया बाजार में नहर पुलिया के पास पहुंची थी कि मुखबिर खास पुलिया के पास दो व्यक्तियो की तरफ इशारा करके बताया कि साहब यह वही दोनों व्यक्ति है जिनका नाम 1.अरबिन्द कुमार पुत्र कुबेर 2. ज्ञानेन्द्र उर्फ मिठाई पुत्र तिलठू निवासीगण बांसगांव थाना तरवां जनपद आजमगढ़ है जो आपको मुकदमें मे वांछित है और इतना बताकर मुखबिर खास हट बढ़ गया कि पुलिस टीम हिकमत अमली से खड़े व्यक्ति यों के पास बढ़ने लगे कि खड़े दोनों व्यक्ति पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख पीछे मुड़कर सीधे पक्की रोड पकड़कर भागने लगे जि न्हे दौड़ाकर 10 से 20 कदम जाते जाते घेरकर पुलिया के पास ही पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति यों से नाम पता पूछा गया तो वह अपना नाम 1. अरबिन्द कुमार पुत्र कुबेर 2. ज्ञानेन्द्र उर्फ मिठाई पुत्र तिलठू निवासीगण बांसगांव थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया जो मुकदमा उपरोक्त में वांछित है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया

पंजीकृत अभियोग –

मु.अ.स. 131/2020 धारा 143/353/336/504/427/436 भादवि व 7 CLA ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अरबिन्द कुमार पुत्र कुबेर
2. ज्ञानेन्द्र उर्फ मिठाई पुत्र तिलठू निवासीगण बांसगांव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे व का0 आयुष मौर्या व का0 अनिल कुमार सरोज

थाना अतरौलिया
एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारंटी अपराधियोंकी गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय

अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 09.06.2021 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह का0 उमेश सिंह व का0 कमलेश सिंह थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित /वारंटी अभियुक्त के क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि मु0अ0स0 58/21 धारा 419/420/467/468/471 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ से सम्बंधित अभियुक्त नन्दलाल उपाध्याय पुत्र श्री सत्यराम उपाध्याय निवासी ग्राम -सतहरा पो०-भैसही थाना महुली विकास खण्ड - नाथनगर तहसील धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर जो की रोडवेज बस स्टैंन्ड अतरौलिया पर मौजूद है इस सूचना पर अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु रोडवेज अतरौलिया में आकर लगभग 04.10 बजे दबिश दी गई तो एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर तेजी से मदियापार तिराहे की ओर जाने लगा तो संदेह होने पर हमराही कर्मचारी के सहयोग से उसे घेरघार कर रोककर नाम पता पूछा गया तो अपना झुठा नाम पता बताने लगा कडाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नन्दलाल उपाध्याय पुत्र श्री सत्यराम उपाध्याय निवासी ग्राम -सतहरा पो०-भैसही थाना महुली विकास खण्ड नाथनगर तहसील धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर बताया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु0अ0स0 58/21 धारा 419/420/467/468/471 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>–

नन्दलाल उपाध्याय पुत्र सत्यराम उपाध्याय निवासी ग्राम-सतहरा, पो०-भैसही थाना –महुली, विकास खण्ड- नाथनगर, तहसील-धनघटा, जनपद- सन्तकबीरनगर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण</u> –

1. SI जितेन्द्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 उमेश सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 कमलेश सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़